रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 196] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 1984/वैशाख 7, 1906
No. 196] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 1984/VAISAKHA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1984

अधिसूचना

का. आ. 324(अ).—केन्द्रीय सरकार, हिन्द माइकिल्स लिमिटेड तथा सेन-रैले लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 70) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार न्यायिक सेवा के एक अधिकारी श्री एस. के. द्विवेदी को दिनांक 9 अप्रैल, 1984 (पूर्वाह्न) से भूगतान आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं. 49/33/80-इन्ग. इण्ड.]
जी. वेंकटरमणन्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 27th April, 1984

NOTIFICATION

S.O. 324(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 15 of the Hind Cycles Limited and sen Raleigh Limited (Nationalisation) Act, 1980 (No. 70 of 1980) the Central Government hereby appoints Shri S. K. Dwivedi an officer of the Bihar Judicial service as the Commissioner of Payments, with effect from the 9th April, 1984 (forenoon).

[No. 49|33|80-Eng. Ind.]

G. VENKATARAMAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984